



कृषि विज्ञान केन्द्र, बीकानेर-II (लूनकरनसर)
(एटीसी परिसर, राष्ट्रीय राजमार्ग-62 श्रीगंगानगर रोड़)
प्रसार शिक्षा निदेशालय,
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर



क्रमांक: एफ / कृविके- लूनकरनसर/2022-23/ 19

दिनांक : 13/05/2022

निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि विज्ञान केंद्र लूनकरनसर के फार्म पर खरीफ 2022 व रबी 2022-23 में 16.0 हेक्टेयर भूमि पर फसलों के बीज उत्पादन एवं फसलोत्पादन (मुंगफली, मुंग ग्वार खरीफ में व चना, गेहूं रबी में) हेतु हिस्सा आधारित खुली निविदा निर्धारित प्रपत्र पर आमंत्रित की जाती है । निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्तें कार्यालय से 500 नकद या डिमांड ड्राफ्ट जो कि कि कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केंद्र लूनकरनसर के पक्ष में देय हो प्रस्तुत कर दिनांक 13/05/2022 प्रात 10.00 से 28/05/2022 दोपहर 1.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। मोहर बंद निविदा वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केंद्र लूनकरनसर के नाम देय होनी चाहिये। निविदादाता को निविदा प्रपत्र दिनांक 28/05/2022 दोपहर 2.00 बजे तक प्रस्तुत करना होगा तथा निविदाये कृषि विज्ञान केंद्र लूनकरनसर के कार्यालय में दिनांक 28/05/2022 दोपहर 3.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष गठित कमेटी द्वारा खोली जायगी। किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

निविदा की विस्तृत जानकारी व शर्तें www.sppp.rajasthan.gov.in, <http://bikaner2-kvk2-in> एवं <http://raubikaner.org/> पर देखी जा सकती है।

UBN No. - SKA 2223WSOB00013


वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष
Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra
Lunkaransar, Bikaner



कृषि विज्ञान केंद्र, बीकानेर-II (लूनकरनसर)
(एटीसी परिसर, राष्ट्रीय राजमार्ग-62 श्रीगंगानगर रोड़)
प्रसार शिक्षा निदेशालय,
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर



कार्य का विवरण एवं शर्तें

क्र सं	केंद्र का नाम : कृषि विज्ञान केंद्र लूनकरनसर	
1	कार्य की अनुमानित अवधि	खरीफ 2022 व रबी 2022-23
2	अमानत राशि की प्रकृति एवं राशि (E.M.D.)	रुपए 25000 नकद
3	निविदादाता/ठेकेदार द्वारा किये जाने वाले कार्य का विवरण	16.0 हेक्टेयर भूमि पर फसलों के बीज उत्पादन एवं फसलोत्पादन (मूंगफली, मुंग ग्वार खरीफ में व चना, गेहूं रबी में) का कार्य

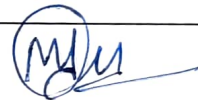
हिस्सा आधारित खेती हेतु निविदा शर्तें

1	निविदा फार्म कार्यालय से 500 नकद या डिमांड ड्राफ्ट जो कि कि कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केंद्र लूनकरनसर के पक्ष में देय हो प्रस्तुत कर दिनांक 13/05/2022 प्रात 10.00 से 28/05/2022 दोपहर 1.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।
2	मोहर बंद निविदा वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केंद्र लूनकरनसर के नाम देय होनी चाहिये।
3	निविदादाता को निविदा प्रपत्र 28/05/2022 दोपहर 2.00 बजे तक प्रस्तुत करना होगा तथा निविदाये कृषि विज्ञान केंद्र लूनकरनसर के कार्यालय में दिनांक 28/05/2022 दोपहर 3.00 बजे खोली जावेगी। यदि किसी कारण वश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदाये खोली जावेगी।
4	निविदा दाता को अमानत राशि 25000 रुपये नकद या डिमांड ड्राफ्ट जो कि कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केंद्र लूनकरनसर के पक्ष में देय हो, सलग्न करना अनिवार्य है। अमानत राशि के बिना फार्म निरस्त कर दिया जायगा जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निविदा दाता की होगी।
5	कार्यालय आदेश जारी होने के तीन दिवस के भीतर 100000 (रुपए एक लाख) कार्यालय में बतौर धरोहर राशि जमा करवाने होंगे तथा उपरोक्त राशि निविदादाता को ठेका संतोषजनक पूर्ण होने पर मय अमानत राशि वापिस लौटा दी जायेगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
6	ट्रेक्टर सम्बन्धी कार्य यथा डिस्क प्लाउ, हेरो, कल्टीवेटर द्वारा भूमि तैयारी कार्य, सीड डील द्वारा व बुवाई फर्टिलाइजर ड्रिलिंग, थ्रेसर की व्यवस्था निविदादाता/ठेकेदार द्वारा ही की जावेगी अर्थात इनसे सम्बन्धी डीजल खर्च, वाहन चालक व्यवस्था में केन्द्र का कोई योगदान नहीं रहेगा।
7	बुवाई के दौरान लगने वाले बीज, फंफूदनाशक, कीटनाशक, कल्चर की आपूर्ति केन्द्र द्वारा ही की जावेगी।

8	फार्म पर देय हिस्सा आधारित खेती के क्षेत्रफल एवं फसल का निर्णय फार्म प्रमारी / वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। हिस्सा आधारित खेती का क्षेत्रफल घटाया/ बढ़ाया जा सकता है। निविदादाता/ठेकेदार अपनी इच्छा से फसल एवं फसल के क्षेत्र का निर्णय नहीं कर सकेगा। फसल व क्षेत्र के निर्धारण में निविदादाता/ठेकेदार का कोई एतराज मान्य नहीं होगा। निविदादाता/ठेकेदार को केंद्र प्रमारी/वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष के निर्णय मानने की बाध्यता होगी।
9	फसल वृद्धि के दौरान रोग व कीट प्रकोप की स्थिति में फंफूदनाशक, कीटनाशक व अन्य रसायन, पानी की आपूर्ति भी केन्द्र ही करेगा परन्तु श्रमिक अवयव व उपकरण निविदादाता/ठेकेदार के ही होंगे।
10	बुवाई से लेकर फसल थ्रेसिंग करवाने संबंधी मजदूरी तथा उसके बाद उत्पाद की साफ सफाई करके बोरियां भरकर, तोलकर गोदाम में रखने तक की प्रक्रिया में लगने वाले श्रमिक अवयव निविदादाता/ठेकेदार को ही वहन करने होंगे।
11	स्वीकृत निविदादाता/ठेकेदार को केन्द्र द्वारा उपलब्ध सिंचाई सुविधा का विद्युत वितरण की उपलब्धता पर पूर्ण उपयोग करना होगा, चाहे वह दिन में आए या रात्री में।
12	विभिन्न प्रकार की शस्य क्रियाएँ फार्म मैनेजर, फार्म इन्चार्ज व केंद्र प्रमारी/वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष के निर्देशानुसार करनी होगी तथा खास श्रमिक अवयव निविदादाता/ठेकेदार को वहन करना होगा।
13	बीजोत्पादन कार्यक्रम को समय पर न करने व पशुओं द्वारा फसल को सम्पूर्ण व आंशिक क्षति पहुँचाने की दशा में व चोरी आदि की परिस्थितियों में काश्त में व्यय राशि, जुताई, बिजाई, रासायनिक दवाये, बीज व संस्था द्वारा अन्य निर्धारित व्यय आदि खर्चों को निविदादाता के अंतिम भुगतान व धरोहर राशि से संस्था हित में भरपाई की जायेगी।
14	थ्रेसिंग के बाद प्राप्त होने वाले सम्पूर्ण बीज उत्पाद को सूखा व साफ़ करवा कर केंद्र द्वारा लिया जायेगा। निविदादाता के हिस्से के बीज उत्पाद की एवज में निविदादाता को उपज जमा करने के समय स्थानीय मंडी में प्रचलित मासिक ओसत दर से हिस्सा उत्पाद का मूल्य केंद्र द्वारा निविदादाता को दिया जायेगा। लेकिन उत्पाद की गुणवत्ता निम्न होने पर दर का निर्धारण केंद्र द्वारा निर्धारित कमेटी द्वारा किया जायेगा। कमेटी द्वारा निर्धारित मूल्य को मानना निविदादाता की बाध्यता होगी। बीज उत्पादन के लिए की गई खेती पर निविदादाता को पोधों की छाट्टाई व गुणवत्ता बनाये रखने की एवज में स्थानीय मंडी में प्रचलित मासिक ओसत दर या संबंधित फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य जो भी अधिक हो उस पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त जोड़कर भुगतान किया जायेगा। उक्त भुगतान दाना (बीज) पूर्णतया साफ़ (जैसे डुकली की चुगाई आदि) करने पर दिया जायेगा।
15	थ्रेसिंग के बाद शत प्रतिशत चारा निविदादाता का होगा तथा थ्रेसिंग के सात दिन के भीतर चारा निविदादाता को उठाना होगा।
16	व्यसायिक फसल उत्पादन में स्थानीय मंडी की मासिक ओसत दर से 10 प्रतिशत अतिरिक्त नहीं दिया जायेगा लेकिन दाना (बीज) की सफाई करनी होगी।
17	फसल कटाई के मामलों में कटी हुई फसलों को कहां इक्ठ्ठा करना है व कितने ढेर बनाने हैं इसके लिए फार्म मैनेजर, फार्म इन्चार्ज अथवा केंद्र प्रमारी/वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष से सम्पर्क करना होगा तथा प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों को देखते हुए फसल इक्ठ्ठा करने के लिये ट्रैक्टर ट्राली की सुविधा केन्द्र द्वारा दी जा सकती है। परन्तु यह शर्त केन्द्र के लिये बाध्य नहीं होगी।

18	निराई, गुड़ाई, सिंचाई, कटाई, थ्रेसिंग तथा अन्य सम्बन्धित कार्य मौसम की स्थिति को देखते हुए करने होंगे। प्रतिकूल मौसम होने पर उक्त कार्य रोके जाने का अधिकार फार्म मैनेजर, फार्म इन्चार्ज अथवा केंद्र प्रभारी/वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष को होगा।
19	बिना कोई कारण बताये निविदा को निरस्त करने का अधिकार केंद्र प्रभारी/वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष को होगा तथा किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में केंद्र प्रभारी/वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा जो कि निविदादाता/ठेकेदार को मानना बाध्य होगा। किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र लूणकरणसर रहेगा।
20	फसल में रोगिंग/अपवांछन कार्य फार्म मैनेजर, फार्म इन्चार्ज केंद्र प्रभारी/वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष की देखरेख में करना होगा।
21	निविदादाता/ठेकेदार को खरीफ व रबी की फसलों में कम से कम दो बार निराई गुड़ाई आवश्यक रूप से करनी होगी।
22	पम्प व ट्यूब वेल मोटर ऑपरेशन निविदादाता/ठेकेदार को ही करना होगा।
23	फसलों की रखवाली करने की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी इसमें शिथिलता बरतने या नुकसान होने पर समिति द्वारा आकलन करवाया जायेगा जिसे निविदादाता/ठेकेदार के भुगतान में से काट दिया जायेगा।
24	फसल के दौरान स्वयं के पशु वगैरह फार्म पर नहीं लाये जायेंगे तथा नहीं यहां से हरा चारा वगैरह ले जाने दिया जायेगा।
25	निविदादाता/ठेकेदार को केन्द्र के मुख्य द्वार से ही आना-जाना करना होगा। किसी भी अवांछित आदमी को फार्म में आने की ईजाजत नहीं होगी।
26	सफल निविदा दाता स्वीकृत कार्य करने से इंकार करता है या वह अपने प्रस्ताव से किसी भी समय पीछे हटता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी अथवा निविदा दाता अपना कार्य निश्चित अवधि के बीच में छोड़ता है तो भी उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी व करवाये गये कार्य का बकाया भुगतान जप्त करके ब्लैक लिस्टेड घोषित कर दिया जायेगा।
27	सिंचाई नालो व पाटलो की साफ सफाई का कार्य निविदादाता/ठेकेदार को करना होगा तथा माह में कम से कम एक बार सफाई करनी होगी जिसका खर्चा निविदादाता/ठेकेदार को वहन करना होगा।
28	सभी प्रकार के टैक्स वहन की जिम्मेदारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी।
29	कार्य की अवधि खरीफ 2022 से रबी 2022 -23 तक की होगी। इस अवधि के दौरान फार्म की स्थिति व उत्पादन के संतोषजनक होने पर आगामी वर्ष के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए फार्म प्रभारी / वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष से कार्य के संतोषजनक संपादन का प्रमाण पत्र लेना होगा।
30	फार्म प्रक्षेत्र में उगे पेड़ एवं अन्य सम्पत्ति को किसी भी प्रकार से होने वाले नुकसान की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी। नुकसान होने पर निविदादाता/ठेकेदार से नुकसान वसूला जायेगा।
31	फार्म से किसी भी तरह की सामग्री को बाहर ले जाने व लाने की लिखित अनुमति केंद्र प्रभारी से पूर्व में लेनी होगी व सामान केवल कार्यालय समय में ही लाया ले जाया जा सकेगा।
32	निविदादाता/ठेकेदार द्वारा फार्म पर किसी भी तरह का कोई स्थाई/अस्थायी निर्माण नहीं किया जा सकेगा।
33	निविदादाता द्वारा अवयस्क श्रमिकों को कार्य पर नहीं लगाया जायेगा। निविदा दाता एवं उसके कर्मचारी व उसके श्रमिक निविदादाता के ही सेवक होंगे उनका कृषि विज्ञान केंद्र या विश्वविधालय से कोई संबंध नहीं होगा।

34	किसी श्रमिक की दुर्घटना से मृत्यू या अन्य दुर्घटना घटित होने पर उससे उत्पन्न किसी प्रकार के विवाद की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी। ऐसी स्थिति में केंद्र की किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होगी और न ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ती राशी का भुगतान किया जायेगा और न ही इस संबंध में केंद्र से क्षतिपूर्ती की मांग की जावेगी।
35	निविदादाता के श्रमिकों द्वारा यदि फार्म कि फसलों अथवा सम्पत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुँचाया गया तो उसका हर्जाना निविदादाता को भुगतान पड़ेगा अथवा जमा धरोहर राशि या देय भुगतान में से काटा जायेगा। निविदादाता या निविदादाता के श्रमिकों द्वारा यदि फार्म पर कोई गैर कानूनी गतिविधि संचालित करता है तो समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
36	निविदादाता निविदा शर्तों का अध्ययन करने के पश्चात ही निविदा प्रस्तुत करें तथा प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता के हस्ताक्षर होने चाहिये।
37	निविदादाता को नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प 500/- पर इकरारनामा/अनुबन्ध प्रेषित करना होगा एवं दोनों पक्षों को उक्त अनुबंध पत्र पर लिखी प्रत्येक शर्त का पालन करना होगा। यदि निविदा दाता उक्त शर्तों का उलघन करता है तो अनुबंध पत्र को किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायेगा व उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।



वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष
जैव विज्ञान विभाग
जलकान्सर, पंजाब

मैंने (निविदादाता) उपरोक्त समस्त शर्तें पढ़ ली हैं तथा मुझे मंजूर है एवं मैं उपरोक्त शर्तों पर कार्य करने के लिये सहमत हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता/ठेकेदार

निविदादाता/ठेकेदार का नाम.....

पता.....

दिनांक.....

मोबाइल नं.....